संख्या – /XVIII-B-1/2025-04(36)/2025

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01 देहरादून, दिनांक : सितम्बर, 2025

विषय : जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर में दुगाड़ नाले से मण्डलसेरा क्षेत्र की जल निकासी एवं आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक की बाढ़ सुरक्षा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दिनांक 28 अगस्त, 2025 को मूल्यांकन एवं विभागीय समिति में प्रस्तुत प्रस्ताव का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निम्नतालिकाबद्धानुसार कार्ययोजना हेतु डी0पी0आर0 गठित कर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है :–

(धनराशि लाख में)

क्र0	कार्ययोजना का नाम	प्राक्कलित लागत	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत
0	1	2	3
1	जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर में दुगाड़ नाले से मण्डलसेरा क्षेत्र की जल निकासी एवं आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक की बाढ़ सुरक्षा योजना।	**215.66**	**187.73**

2– उक्तानुसार तालिकाबद्ध कार्ययोजना हेतु दिनांक 28 जुलाई, 2025 को सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित **''मूल्यांकन एवं विभागीय समिति''** तदोपरान्त दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित **''राज्य कार्यकारिणी समिति''** की बैठक में योजना के प्रस्तुतीकरणोपरान्त योजना हेतु प्रदत्त संस्तुति/अनुमोदन के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि निम्नतालिकाबद्ध विवरणानुसार स्तम्भ–3 में उल्लिखित विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत **रु0 187.73 लाख (एक करोड़ सत्तासी लाख तिहत्तर हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि मद के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा निर्धारित मात्राकरण के आलोक में **प्रथम किश्त स्वरूप** 40 प्रतिशत अर्थात् **रु0 75.09 लाख (पिचहत्तर लाख नौ हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर आवंटित कर व्यय किये जाने हेतु की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि लाख में)

क्र0	कार्ययोजना का नाम	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत लागत	प्रथम किस्त स्वरूप प्रस्तावित धनराशि
0	1	2	3
1	जनपद बागेश्वर के विकासखण्ड बागेश्वर में दुगाड़ नाले से मण्डलसेरा क्षेत्र की जल निकासी एवं आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु सुरक्षात्मक की बाढ़ सुरक्षा योजना।	**187.73**	**75.09**
		योग	**75.09**

(रु0 पिचहत्तर लाख नौ हजार मात्र)

3– प्रस्तर–2 में तालिकाबद्ध विवरणानुसार अवमुक्त की जा रही रही धनराशि**रु0 75.09 लाख** को '' प्रस्तुतकर्ता विभाग के अधीन तैनात तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा तकनीकी विशिष्टियों के आधार पर किये गये

प्राविधानों के अनुरूप ही प्रस्ताव पर राज्य कार्यकारिणी समिति द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के आलोक में अवमुक्त की जा रही। तद्नुसार समस्त तकनीकी विशिष्टियों/माप विवरण एवं दरों हेतु तथा अवमुक्त/स्वीकृत धनराशि को निम्न शर्तो के अधीन नियमानुसार व्यय किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून का होगा** :–

1. उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार के पत्र संख्या–33-2/2020-NDM-I दिनांक 14 जनवरी, 2022 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. वित्तीय स्वीकृति के क्रम में नियमानुसार कार्यवाहियों को पूर्ण करने के उपरान्त कार्य को सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त कर तत्काल निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा तथा कार्य निर्धारित अवधि में अवश्यमेव पूर्ण कर लिया जाय तथा निर्माण कार्यो की गुणवत्ता का विशेष रूप से ध्यान के निमित्त कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुये एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. कार्य पर मदवार स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।
4. निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं Workmanship प्रत्येक दशा में उच्च स्तर को बनाये रखना सुनिश्चित किया जाए।
5. कार्य योजना स्थल पर निर्माण सामग्री का परीक्षण करने हेतु लैब का गठन किया जाय।
6. **निमार्ण कार्य यथा:** रेत, बजरी, स्टोन, पी0वी0सी0 पाईप, सीमेन्ट, स्टील एंव अन्य का आई0एस0 कोड के मानकों के अनुरूप NABL Laboratory से परीक्षण कराते हुए मानक विशिष्टियों के अनुरूप गुणवत्ता अवश्यक सुनिश्चित की जाय।
7. **बाढ सुरक्षा कार्यों को** Economic Cost Effectiveness & Technically Most Feasible तकनीक को ध्यान में रखते हुए सम्पादित कराये जायें।
8. बाढ़ सुरक्षा कार्यों का ओरियन्टेशन एवं सम्पादन इस प्रकार किया जाय कि निर्मित कार्यों की शत प्रतिशत लक्षित उद्देश्य की पूर्ति हो एवं किसी प्रकार की हानि की संभावना न रहें।
9. निर्माण कार्य के क्रियान्वयन एवं सम्पादन में सक्षम अधिकारियों से निरन्तर समन्वय रखा जाय, ताकि उनकी आवश्यकता एवं प्राथमिकता के अनुसार कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण हो सके।
10. भूमिगत निर्माण कार्यों का सम्पादन शत प्रतिशत सक्षम अधिकारी की उपस्थिति में सुनिश्चित कराया जाय तथा समुचित विडियोग्राफी भी कराई जाय।
11. योजना से सम्बन्धित कार्यों की डिजाईन एवं ड्राइंग सक्षम स्तर से अवश्य अनुमोदित करायी जाय।
12. योजना निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व नियोजन विभाग को कार्य प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में अवश्य संसूचित किया जाय **ताकि तृतीय पक्ष गुणवत्ता परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित** की जा सके।
13. कार्य की गुणवत्ता समयबद्धता के लिये संबंधित विभागाध्यक्ष/निर्माण ऐजेन्सी/संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
14. कार्य स्वीकृति लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत में कोई पुनरीक्षण अनुमन्य नहीं होगा। कार्य कराते समय वित्तीय नियमों एवं निविदा आदि विषयक नियमों का अनुपालन निश्चित रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।
15. निर्माण कार्यों में Flood Plane Zoning एवं एन0जी0टी0 के प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
16. मित्तव्ययिता के दृष्टिकोण से यथासंभव स्थानीय उपलब्ध सामग्री का ही उपयोग करेंगे तथा होने वाली बचतों से भी नियोजन विभाग को अवगत करायेंगे।
17. आगणन में कार्यदायी संस्था द्वारा ली गई दरों एवं उसी के अनुरूप मदें एवं विशिष्टियां उल्लिखित हैं।

विशिष्टियां तथा दरों में परिवर्तन की दशा में कार्य की कुल स्वीकृत लागत में भी परिवर्तन हो सकता है। ऐसी स्थिति में कार्यदायी संस्था तथा प्रशासकीय विभाग के विभागाध्यक्ष की स्वीकृति अनिवार्य होगी। अतः मितव्ययता के दृष्टिकोण से यह अपरिहार्य है कि कार्यदायी संस्था योजना की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करते समय उन्हीं मदों का आगणन में समायोजन करेंगे जो अपरिहार्य मदें हैं।

18. धनराशि का व्यय करते समय मितव्ययिता के विषय में शासन द्वारा समय–समय पर जारी किये गये समस्त शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
19. आगणन में प्राविधान/दर/मात्रा/धनराशि तथा विवरण आदि किसी भी प्रकार कें अन्तर/पुनरावृत्ति के लिए सम्बन्धित अधिकारी जिम्मेदार होगे।
20. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आंगणन/मानचित्र पर सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।
21. व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली के सुसंगत प्राविधानों एवं मितव्यता के विषय में शासन द्वारा समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
22. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या–2047/xxxiv–219(2006), दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
23. उक्त कार्य एवं कार्य से संबंधित सामग्रियों का क्रय एवं भुगतान के संबंध में **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रोक्योरमेंट) नियमावली, 2017** एवं समय–समय पर यथासंशोधित प्राविधानित नियमों एवं दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
24. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–475 दिनांक 15.12.2008 के अनुसार **M.O.U.** हेतु निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
25. स्वीकृत की जा रही धनराशि के 70 प्रतिशत उपभोग के उपरान्त वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र/जिलाधिकारी द्वारा संतोषजनक प्रमाण पत्र, विडियोग्राफी, उच्च श्रेणी के रंगीन फोटोग्राफ्स, अनुबन्ध पत्र की प्रति एवं तृतीय पक्ष गुणवत्ता जांच की आख्या के साथ–साथ Quality Assurance की प्रति अनिवार्य रूप से शासन को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। तद्नुसार ही नियमानुसार अग्रिम किस्त अवमुक्त की जानी सुनिश्चित की जाएगी। जिसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित सक्षम प्राधिकारी का होगा।

4– **प्रस्तर–3** में उल्लिखित अनुपालनार्थ शर्तो/प्रतिबन्धों के अतिरिक्त राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि से वित्त पोषित कार्ययोजनाओं का निर्माण पूर्ण हो जाने के उपरान्त अनुबन्धित फर्म (कार्य करने वाले वेंडर) के साथ कम से कम 03 वर्ष का दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) का अनुबन्ध भी टेण्डर/गठित किये जाने वाले M.O.U. में उल्लिखित किया जायेगा। जिसकी एक प्रति आपदा प्रबन्धन अनुभाग–01 को अग्रेत्तर किस्त अवमुक्त किये जाने हेतु अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। उक्त हेतु अतिरिक्त रूप से किसी भी प्रकार का वित्त पोषण प्रतिबन्धित/निषिद्ध होगा।

5– उक्त वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के क्रम में प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के निर्वतन पर प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की जा रही धनराशि **रु0 75.09 लाख (पिचहत्तर लाख नौ हजार मात्र)** को आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन संचालित राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के बैंक खाते से पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी।

6– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाषीर्शक–2245–प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत कार्य–08–एस0डी0एम0एफ0–797–रिजर्व फंड को हस्तांतरण–03–एस0डी0एम0एफ0 से व्यय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामे डाला जायेगा/अंकन किया जायेगा।

7– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–I/281566/9 (150)2019/XXVII(1)/2025, (E-79713) दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे है एवं इस शासनादेश में धनराशि के व्यय के सम्बन्ध में दिये गये दिशा–निर्देशों का अनिवार्य रुप से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

Digitally signed by Vinod Kumar Suman
Date: 19-09-2025 16:37:14

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

संख्या : (1)/XVIII-B-1/2025-04(36)/2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव–वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, सिचांई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
7. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
8. निदेशक, यू0एल0एम0एम0सी0, देहरादून।
9. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, बागेश्वर।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by Jyotirmay Tripathi
Date: 22-09-2025 11:14:13

(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)
अनु सचिव।